



2026:AHC:166458

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 27771 सन् 2026

गुड्डू यादव

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक की ओर से अधिवक्ता

:

नरेंद्र नाथ त्रिपाठी

विपक्षी पक्षकार की ओर से अधिवक्ता

:

अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा वाद के अभिलेख का परिशीलन किया गया।

वर्तमान आवेदन, विचारण संबंधित न्यायालय में लंबित रहने के दौरान, थाना विष्णुपुरा, जनपद कुशीनगर में धारा 309(6), 317(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत पंजीकृत वाद

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपराध संख्या 175 सन् 2026 में आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा किसी दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण वर्तमान प्रकरण में उसे झूठा फंसाया गया है। वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट आवेदक तथा सह-अभियुक्त व्यास और दो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध सूचनादाता के साथ की गई लूट की घटना के संबंध में दर्ज कराई गई है। आगे प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से कोई संबंध नहीं है तथा उसने अभियोजन द्वारा आरोपित कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक के सह-अभियुक्त व्यास यादव को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 26752 सन् 2026 में पारित दिनांक 03.08.2026 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। वर्तमान प्रकरण के अतिरिक्त आवेदक के एक आपराधिक इतिहास का विधिवत स्पष्टीकरण जमानत आवेदन के प्रस्तर '27' में किया गया है तथा वह 01.07.2026 से कारागार में निरुद्ध है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक यह वचन देता है कि समानता के आधार पर जमानत प्रदान किए जाने की दशा में वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया कि न्यायालय में वादों की भारी लंबितता के कारण विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

जमानत की प्रार्थना का विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रबल विरोध किया गया, किंतु वे इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि आवेदक के सह-अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अभिलेख एवं साक्ष्य का परिशीलन करते हुए तथा आरोपों की प्रकृति एवं पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का मत है कि आवेदक विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तदनुसार, वाद के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

आवेदक गुड्डू यादव को उपर्युक्त वाद में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र निष्पादित करने तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन के साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा तथा उसे भयभीत नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न कर दी जाए।
- (iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध कारित नहीं करेगा, जिसके कारित करने का उस पर आरोप है अथवा जिसके कारित किए जाने का उस पर संदेह है।
- (v) आवेदक किसी ऐसे व्यक्ति को, जो वाद के तथ्यों से परिचित हो, न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से विरत करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि जमानतदारों की पहचान, स्थिति एवं निवास संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उन्हें स्वीकार किए जाने से पूर्व सत्यापित किए जाएँ।

उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में विचारण न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ जमानत आवेदन के निस्तारण के प्रयोजन से पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं तथा उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(जय प्रकाश तिवारी, न्यायमूर्ति)

10 अगस्त, 2026

बृजेश

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।